

4


महाराष्ट्र राज्य न्यायपालिका, न्याय मंत्रालय, मुंबई

आदेशाबाबतची प्रत
दिनांक 29.9.03 रोजी
दिली आहे वी मजबूत


मुंबई न्यायदालाकडून प्रत 2003

R. M. S.
29/9/03

- 1- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 2- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 3- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 4- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 5- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 6- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 7- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 8- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 9- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल
- 10- विवाह प्रमाणपत्र - 1703, पत्रकार- हनुवर तिंडे एवं मंगल



क्रमांक 1495/03 दिनांक 29/9/03



पत्नी

- 1- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 2- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 3- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 4- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 5- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 6- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 7- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 8- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 9- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव
- 10- श्रीमती सुमनबाई पत्नी हनुवर नारायणराव

महाराष्ट्र राज्य न्यायपालिका, न्याय मंत्रालय, मुंबई

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला नरसिंहपुर

प्रकरण क्रमांक रिट्यू 1498-तीन/03

आवेदक का नाम

प्रशासकीय अधिकारी
आदि के द्वारा

08-07-2014

आवेदक अधिवक्ता श्री के०के०द्विवेदी उपस्थित ।
प्रकरण में उन्होंने उपस्थित होकर प्रकरण आगे नहीं चलाने
के कारण नोटप्रेस में समाप्त किये जाने का निवेदन किया ।
निवेदन स्वीकार । रिट्यू प्रकरण आवेदक के निवेदन पर
नोटप्रेस में समाप्त किया जाता है

प्रशासकीय सदस्य